

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश (चतुर्थ संशोधन) ::

क्रमांक: 34/एक-2-2/85

दिनांक: 04.12.2024

मैं, संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 06/एक-2-2/85 दिनांक 19.02.2024 तथा तदुपरांत समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों के अनुक्रम में निम्नानुसार नवीन संशोधित आदेश के खण्ड "अ" में सरल क्रमांक 11ए एवं 11बी का समायोजन तथा सरल क्रमांक 17 की उप कण्डिका 1 एवं 2 का नवीनस्थापन एवं सरल क्रमांक 10 की उप कण्डिका 2, सरल क्रमांक 14 की उप कण्डिका 10, सरल क्रमांक 16 की उप कण्डिका 3 में संशोधन कर कार्य विभाजन पत्रक 2024 का पुनर्नियोजन करता हूँ। अतः नवीनस्थापन अनुरूप निम्नानुसार संशोधन (पुनर्स्थापन) पढ़ा जावे-

खण्ड - अ

"सिविल न्यायालय कार्य विभाजन"

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
10.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालय के प्रथम अति. न्या. दतिया	2. इसी न्यायालय एवं द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/ डिक्री/ आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
11बी.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	1. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
11सी.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, दतिया	1. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
14.	द्वितीय जिला न्यायाधीश, सेंवड़ा	10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंवड़ा एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेंवड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा	1. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

स्थान : दतिया।

(संजीव श्रीवास्तव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

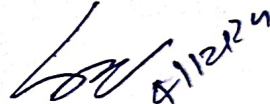
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

मैं, **संजीव श्रीवास्तव**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 06/एक-2-2/85 दिनांक 19.02.2024 तथा तदुपरांत समय-समय पर जारी संशोधित आदेशों के संलग्न अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश की तालिका में सरल क्रमांक 14डी, 14ई एवं 17बी का समायोजन तथा सरल क्रमांक 14सी, 15 एवं 17ए में निम्नानुसार संशोधन करता हूँ-

क्रं.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
14सी.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
14डी.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
14ई.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
15.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, दतिया
17ए.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवढ़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवढ़ा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवढ़ा
17बी.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवढ़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंवढ़ा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंवढ़ा

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।


(संजीव श्रीवास्तव)

स्थान : दतिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)